न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— राम प्रकाश (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :— 14/2016

उनवान मुकदमा

श्रीमती पूंजी पुत्री श्री भेमा (पत्नी श्री रतना), जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम डेरी, तहसील छोटी सरवन, जिला बाँसवाडा (राज.)।

—: *वादी*

बनाम

1. श्रीमती होमली पुत्री श्री भेमा (पत्नी श्री भेरिया), जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी गांव रेल, तहसील छोटी सरवन, जिला बाँसवाडा (राज.)।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील छोटी सरवन, जिला बाँसवाडा (राज.)।
3. श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी (श्री उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा) न्यू क्लियर पावर प्लान्ट, छोटी सरवन जिला बाँसवाडा (राज.)।

—: *प्रतिवादीगण*

वाद अन्तर्गत धारा — 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिंनाक :—

1)— यह कि, वादीया श्रीमती पूंजी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मै श्रीमती पूंजी व मेरी बहन श्रीमती होमली के पिता का नाम श्री भेमा व माता श्रीमती झुमली है। पूर्व में खाता संख्या 33 व पुराना 20 के खसरा नम्बर 167, 168, 185, 187, 243, 245, 260 कुल खेत—8, रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम रेल, पटवार हल्का नापला, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) में उक्त खाता भेमा पिता नाथिया मीणा के नाम दर्ज रेकॉर्ड था। भेमा के कोई पुत्र न होने से भेमा की मृत्यु पर नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 17.01.1983 को खाता संख्या 33 के द्वारा भेमा के वारिसान मैं पूंर्जी व होमली व मेरी माता झुमली के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुआ एवं मेरी माता श्रीमती झुमली की मृत्यु पर नामान्तरण संख्या 114 दिनांक 05.12.2007 द्वारा उक्त खाता मेरे व मेरी बहन श्रीमती होमली के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुआ जो जमाबन्दी संवत् 2042—2053 मे दर्ज रेकॉर्ड है।

2) यह कि, मेरी बहन होमली ने शुद्धिपत्र हेतु एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूंजी का नाम हटाया जावें। जबकि पूर्व से मेरा नाम दर्ज रेकॉर्ड है तथा मुझे सुने बिना कोई रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने शुद्धि—पत्र क्रम संख्या 2 दिनांक 04.01.2013 को जारी कर मेरा नाम हटा दिया। उक्त शुद्धि—पत्र के द्वारा खाते मे मेरी बहन श्रीमती होमली का ही नाम रह गया। उक्त सारी कार्यवाही अवैध काबिल खारिज के है।

3)— यह कि, भेमा की मृत्यु पर नामान्तकरण दिनांक 17.01.1983 जो नामान्तकरण संख्या 43 खोला गया है जिसमें पूंजी शब्द को पुत्री पढा जा रहा है जबकि होमली पिता भेमा इन्द्राज किया गया। होमली के आगे पुत्री व होमली के पश्चात् पिता यह इस बात का द्योतक है कि पुत्री शब्द न होकर पूंजी है एवं पूंजी व होमली दोनो भेमा की पुत्रियां है तथा शुद्धि—पत्र के जरिये मेरा नाम जो हटाया गया है वो गलत है उसे दूरस्त कर मुझे सहखातेदार घोषित किया जाये इसलिये मैने दावा पेश किया।

4)— यह कि, उपरोक्त खाता की भूमि पावर प्लान्ट मे अवाप्त होने जा रही है तथा मेरी बहन श्रीमती होमली उक्त भूमि का अवार्ड की सम्पूर्ण राशि अपने नाम जारी

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

कराने हेतु मेरा नाम हटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ताकि मुझे उक्त भूमि का अवार्ड प्राप्त नही हो सके तथा होमली अवैध रूप से उक्त अवार्ड प्राप्त न करे तथा मुझे भी शान्तिपूर्ण काश्त में कोई बाधा नही पहुंचाये इस हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

5) यह कि, दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 01 ने जवाब प्रस्तुत न कर एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.01.2017 अन्तर्गत धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, उक्त वाद कानूनन मेन्टेनेबल नही है। प्रतिवादी नं. 01 के प्रार्थना पत्र का वादीया की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, भूमि अवाप्ति अधिकारी न्यक्लियर पावर प्लॉन्ट, छोटी सरवन, जिला बांसवाडा एक आवश्यक पक्षकार है एवं उसे वादीया व प्रतिवादी नं. 01 दोनो ही भेमा की पुत्रियां होने से मुआवजे की कार्यवाही रोकने हेतु आवश्यक व फोरमल पक्षकार बनाया है तथा कृषि संबंधी समस्त कार्यवाही करने के लिये श्रीमान् एस.डी.ओ. कोर्ट, छोटी सरवन सक्षम है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.08.2016 खारिज किया जावे। जिस पर न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की बहस सुनकर प्रतिवादी नं. 01 का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

6)– यह कि, प्रतिवादी नं. 01 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये गये, लेकिन जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

7)– यह कि, वादीया की ओर से जमाबंदी संवत 2037 से 2040 वाके ग्राम रेल नामान्तकरण सं. 43 दिनांक 17.01.1983, जमाबंदी खाता संख्या 54 नया 33 पुराना संवत 2042–2045 वाके ग्राम रेल, जमाबंदी खाता संख्या 62 नया 54 पुराना संवत2046–2049, जमाबंदी खाता संख्या 61 नया 62 पुराना संवत 2050–2053, नामान्तकरण सं. 114 दिनांक 05.12.07, जमाबंदी खाता संख्या 44 नया 44 पुराना संवत 2067–2070 प्रस्तुत किये गये।

8)– यह कि, प्रतिवादी नं. 01 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिये तनकियात विरचित नहीं की गई।

9)– यह कि, वादीया की ओर से साक्ष्य मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं उसका मुख्य परीक्षण शपथ पत्र के जरिये रेकॉर्ड पर लिया गया एवं दस्तावेज प्रदर्श–1 से लगायत 14/16 प्रदर्शित कराये गये। बयान शामिल पत्रावली की गई तथा एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

10)– यह कि, वादीया की ओर से प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेज एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य पाया कि, पूर्व मे खाता भेमा के नाम से था एवं भेमा की मृत्यु के पश्चात् उक्त खाता भेमा की दोनो पुत्रियों पूंजी व होमली तथा माता झुमली के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुआ। जमाबंदी में भी पूंजी होमली पिता भेमा व झुमली बेवा भेमा जमाबंदी में दर्ज रेकॉर्ड हुआ। नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 05.12.2007 में पूंजी होमली पिता भेमा व झुमली बेवा भेमा दर्ज रेकॉर्ड है। जमाबंदी संवत 2067–2070 खाता संख्या 44 नया व पुराना 44 में पूंजी होमली पिता भेमा दर्ज रेकॉर्ड है। तहसीलदार साहब ने जो शुद्धिपत्र क्रमांक 2 दिनांक 04.01.2013 के द्वारा वादी पूंजी का नाम विलुप्त कर प्रतिवादी होमली को एकमात्र खातेदार दर्ज किया व दस्जावेज व मौके की साक्ष्य के विपरीत है। उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर खाता संख्या 44 नया व पुराना 44 के खेत सर्वे नम्बर 167, 168, 185, 186, 187, 243, 245, 260 कुल खेत–8 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम रेल, पटावार हल्का नापला, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) का खातेदार होमली के साथ वादीया पूंजी को खातेदार घोषित करने का दावा स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन,जि.बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः वादीया का दावा विरूद्ध प्रतिवादी नं. 01 स्वीकार किया जाकर यह आदेष दिया जाता है कि खाता संख्या 44 नया व पुराना 44 के खेत सर्वे नम्बर 167, 168, 185, 186, 187, 243, 245, 260 कुल खेत–8 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम रेल, पटावार हल्का नापला, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) का वादीया पूंजी को प्रतिवादी नम्बर 01 होमली के साथ सहखातेदार घोषित करने के आदेश प्रतिवादी नम्बर 02 तहसीलदार साहब, छोटी सरवन को राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आदेश की पालना में डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14 /02/ 2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो।

(राम प्रकाश) IAS
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, **मुकाम** :छोटीसरवन व **इजलास** :राम प्रकाश,(आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 14/2016

<u>उनवान मुकदमा</u>

श्रीमति पूंजी पुत्री श्री भेमा (पत्नी श्री रतना), जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम डेरी, तहसील छोटी सरवन, जिला बाँसवाडा (राज.)।

–: वादी

बनाम

1. श्रीमति होमली पुत्री श्री भेमा (पत्नी श्री भेरिया), जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी गांव रेल, तहसील छोटी सरवन, जिला बाँसवाडा (राज.)।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील छोटी सरवन, जिला बाँसवाडा (राज.)।
3. श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकारी (श्री उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा) न्यू क्लियर पावर प्लान्ट, छोटी सरवन जिला बाँसवाडा (राज.)।

–: प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा – 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>दिंनाक :–</u>

वादी विरूद्व प्रतिवादी नम्बर–1 इस अमर की डिक्री पारित की जाती है कि खाता संख्या 44 नया व पुराना 44 के खेत सर्वे नम्बर 167, 168, 185, 186, 187, 243, 245, 260 कुल खेत–8 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम रेल, पटावार हल्का नापला, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा (राज.) का वादीया पूंजी को प्रतिवादी नम्बर–1 होमली के साथ सह खातेदार घोषित करने डिक्री पारित की जाती है। नम्बर–2 तहसीलदार छोटीसरवन को डिक्री की अनुपालना में राजस्व रैकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार छोटीसरवन को भिजवाई जाती है।

नोज **शून्य** मुबलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह **शून्य** प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक **शून्य** का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एंव मोहर अदालत के आज दिनांक 14–02–2020 को जारी की गई।

(राम प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
		कुल	शून्य
कुल	शून्य		

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

उपखण्ड अधिकारी
छोटी सरवन जि. बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner